RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक १६] **गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/वैशाख २१-२७, शके १९३९** **[पृष्ठे ४४**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

पृष्ठे १-४४

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४, सन् २०१५.— मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . . २

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५, सन् २०१५.— महाराष्ट्र नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५. . . ४

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६, सन् २०१५.— महाराष्ट्र राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . . ६

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७, सन् २०१५.— महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५. . . ७

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८, सन् २०१५.— संदीप विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ . . ९

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३९, सन् २०१५.— एम. आय. टी. आर्ट, डिझाईन ॲन्ड टेक्नॉलॉजी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५. . . २७

MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2015.

THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) ACT, 2015

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेंद्र ग. भागवत,
प्रारूपकार-नि-सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, १५ जून २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् १८८८ का ३ । सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १३।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह १५ जून २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १८८८ का ३।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १४०क में, चतुर्थ परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :— सन् १८८८ का ३ की धारा १४०क में संशोधन।

"परंतु यह भी कि, १ अप्रैल २०१५ से प्रारम्भ होनेवाली पाँच वर्षों की अवधि के लिए, ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या कम चटाई क्षेत्रवाले आवासीय भवन या आवासीय वासगृह के संबंध में उद्ग्रहणीय संपत्ति कर की रकम, ३१ मार्च २०१५ से ऐसे आवासीय भवन या आवासीय वासगृह के संबंध में जो उद्ग्रहित की जाएगी और देय होगी, वह संपत्ति कर की रकम से अधिक नहीं होगी।"।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १३ ।

३. (१) मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है ।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2015.

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २१ अगस्त २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेंद्र ग. भागवत,
प्रारूपकार-नि-सहसचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५, सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता हैं :— सन् १९४९ का ५९।

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

सन् १९४९ का ५९ में धारा १४९ख की निविष्टि।

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १४९क के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी अर्थात्,— सन् १९४९ का ५९।

अधिसूचित परियोजनावाले शहर में स्थावर संपत्तियों के कतिपय अंतरणों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क।

" **१४९ख.** (१) धारा १४९क के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय स्टाम्प शुल्क, स्थावर संपत्ति के क्रमशः विक्रय, दान और भोगधिकारी बंधक के लिखत पर एक या अधिक अत्यावश्यक नागरी परिवहन परियोजनाएँ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में "अधिसूचित परियोजना वाले शहर" कहा गया है) और राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे दिनांक पर या के पश्चात्, निष्पादित किये गये शहर में स्थित स्थावर संपत्ति से संबंधित ऐसे किसी लिखत के मामले में इस प्रकार स्थित संपत्ति के मूल्य पर विक्रय या दान के लिखत के मामले में और भोगधिकारी बंधक के लिखत के मामले में, लिखत में उपवर्णित अनुसार लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम पर एक प्रतिशत के दर से अधिभार द्वारा बढाया जायेगा और उक्त अधिनियम के अधीन तद्नुसार, संग्रहित की जायेगी। सन १९५८ का ६०।

(२) इस धारा के प्रयोजन के लिये, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा २८,— सन १९५८ का ६०।

(क) अधिसूचित परियोजनाओं वाले शहरों में स्थित संपत्ति ; और

(ख) अन्य किसी क्षेत्र में स्थित संपत्ति, के संबंध में अलग से उपवर्णित करने के लिये, उसमें निर्दिष्टित विवरण, विनिर्दिष्ट रूप से आवश्यक है, के रूप में पढी जायेगी या प्रवर्तित होगी।

(३) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष, इस निमित्त बनाई गयी विधि द्वारा किये गये विनियोग के पश्चात्, निगम या अभिकरण, जिसने अधिसूचित परियोजना का जिम्मा लिया है, को शहर अधिसूचित परियोजनावाले में स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहित अधिभार के कारण वसूल की गई अतिरिक्त रकम के लगभग समान सहायता अनुदान का भुगतान करेगी और ऐसा सहायता अनुदान, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रित्या में ऐसी अधिसूचित परियोजनाओं पर उपयोग में लाया जायेगा।

(४) आवश्यक धन की राशि उप-धारा (३) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा पूर्ति करके, राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित होगी।

(५) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए नियम बनाएगी।

(६) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, पूर्व प्रकाशित शर्त के अध्यधीन होंगे।

(७) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के बाद, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए चाहे एक सत्र या बाद के दो या अधिक सत्रों को मिलाकर रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र या सत्रों के अवसान से पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए राजी होते हैं, या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं, कि नियम नहीं बनाया जाए और ऐसे विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं, तो नियम, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई या किए जाने से छोडी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।"

स्पष्टीकरण.—"इस धारा के प्रयोजनों के लिए"; "अधिसूचित परियोजना" पद का तात्पर्य, बड़ी मात्रा में द्रुतगति परिवहन प्रणाली जैसे कि मेट्रो रेल, मोनो रेल, बस द्रुतगति परिवहन प्रणाली से संबंधित अत्यावश्यक महत्वपूर्ण नागरी परिवहन परियोजना से है और उसके अंतर्गत पथकर मुक्त मार्ग, सी-लिंक आदि से संबंधित जो राज्य सरकार ने **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, या तो स्वयंद्वारा या योजना प्राधिकरण, नए शहर विकास प्राधिकरण और अन्य कानूनी प्राधिकरण के ज़रिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कंपनी अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन निगमित सरकारी कंपनी या तत्समय प्रवृत्त अधीन कंपनीयों से संबंधित किसी अन्य विधि द्वारा नियंत्रित ऐसी परियोजना हाथ में लेने का उसका आशय घोषित करते है।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2015.

THE MAHARASHTRA OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २१ अगस्त २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

डॉ. मंगला ठोंबरे,
प्रभारी प्रारूपकार-नि-सहसचिव
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1964.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६, सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं :— सन् १९६५ का महा. ५।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

सन् १९६५ का महा. ५ में नवीन धारा १क की निविष्टि।

२. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४, (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ५।

मराठी राज्य की राजभाषा होगी।

" **१क**. महाराष्ट्र राज्य की राजभाषा, मराठी होगी।"।

सन् १९६५ का महा. ५ की धारा २ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २ के, खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

" (ग) "मराठी" का तात्पर्य, देवनागिरी लिपि में मराठी भाषा जिसे समय-समय से जारी किये गये सरकारी संकल्पों के अधीन राज्य में अंगीकृत किया गया है।"।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVII OF 2015.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING (SECOND AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेंद्र ग. भागवत,
प्रारुपकार एवं सहसचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVII OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७, सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९६६ का महा. ३७।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में, अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १२४ख में संशोधन।

सन् १९६६ का महा. ३७।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १२४ ख की, उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (२-१क) इस अधिनियम के अधीन किसी योजना प्राधिकरण या नये शहर विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र से संबंध में, जहाँ राज्य सरकार, एक या अधिक महत्त्वपूर्ण नगर परिवहन परियोजना हाथ में लेने का उसका आशय घोषित करते हैं कि, उप-धारा (२) के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहित तथा संग्रहित विकास प्रभार एक सौ प्रतिशत द्वारा वृद्धि की जायेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " महत्त्वपूर्ण नगर परिवहन परियोजना " पद का तात्पर्य, बडी मात्रा में व्यापक तेज परिवहन प्रणाली जैसे की पथकर मुक्त राजमार्ग, सागर-लिंक आदि समेत मेट्रो रेल, मोनो रेल, तेज बस परिवहन प्रणाली से संबंधित परियोजना से है जिसके संबंध में राज्य सरकार ने, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, या तो स्वयंद्वारा या योजना प्राधिकरण, नवीन शहर विकास प्राधिकरण, किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के ज़रिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कंपनी अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन निगमित सरकारी कंपनी या तत्समय प्रवृत्त कंपनीयों से संबंधित किसी अन्य विधि द्वारा नियंत्रित ऐसी परियोजना हाथ में लेने का उसका आशय घोषित करते है । "।

सन् २०१३ का १८।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १२४छ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १२४छ की, उप-धारा (३) में, निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, धारा १२४ख की, उप-धारा (२-१क) के उपबंधों के अनुसरण में, विकास प्रभार में वृद्धि के परिणाम के रूप में उद्ग्रहीत और संग्रहीत अतिरिक्त राशि उक्त उप-धारा के अर्थान्तर्गत केवल एक या अधिक अत्यावश्यक नगरीय परिवहन परियोजनाओं के लिए, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी निर्देशों के अध्यधीन लागू की जाएगी । "।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVIII OF 2015.

THE SANDIP UNIVERSITY ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
प्रारुपकार-एवं-संयुक्त सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVIII OF 2015.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF SANDIP UNIVERSITY, NASHIK, FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH AND INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए संदिप विश्वविद्यालय, नासिक की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए संदिप विश्वविद्यालय, नासिक की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है ; **इसलिए**, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतदद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम संदिप विश्वविद्यालय, अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " प्रबंधन बोर्ड " का तात्पर्य, धारा २२ के अधीन गठित प्रबंधन बोर्ड से है ;

(ख) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन वह स्थापित किया गया है ;

(ग) " दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय, द्वारा जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किसी अन्य ऐसी प्रणाली - विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(घ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ङ) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों संस्थाओं या यथास्थिती, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिस किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(च) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(छ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, धारा २१ के अधीन गठित शासी निकाय से है ;

(ज) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(झ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ञ) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना से है ;

(ट) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ठ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों या यथास्थिति, विनियमों द्वारा विहित से है ;

(ड) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(ढ़) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ण) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(त) " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन किसी न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत संदिप फाऊंडेशन, मुंबई से है ; सन् १९५० का २९ ।

(थ) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(द) " परिनियमों ", " आर्डिनन्सों " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ध) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किये गये व्यक्ति से है जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(न) " अध्ययन केंद्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिए या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के लिए स्थापित तथा पोषित या मान्यता प्राप्त केंद्र से है ;

(प) " अध्यापक " का तात्पर्य, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या अन्य कोई व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(फ) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये संदिप विश्वविद्यालय, नासिक से है ;

विश्वविद्यालय का निगमन।

३. (१) संदिप विश्वविद्यालय, नासिक के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्तियाँ जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी एतदद्वारा, " संदिप विश्वविद्यालय, नासिक " के नाम द्वारा निगमित निकाय से गठित और घोषित होंगे।

(३) विश्वविद्यालय का, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उन पर वाद चलाया जाएगा।

(४) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय असहबद्ध विश्वविद्यालय के रुप में कार्य करेगी और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय, पोस्ट महिरावणी, त्रिंबक रोड, तालुका और जिला नासिक, महाराष्ट्र में स्थित होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में निम्न सम्मिलित होगें,–

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो–विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक अनुशासनों, जैसे कि इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य अनुप्रयुक्त तथा रचानात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, शिक्षण तथा प्रशिक्षण का उपबंध कराना, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध कराना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा स्थानांतरण के लिए सर्जनशीलता, अभिनव और उद्यमीशिलता को बढ़ावा देने के लिये नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा नियोजन करना ;

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ स्थापित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना, तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपायोजन के लिए ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वीं सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक–आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करना ;

(ञ) औद्योगिक तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) अभिनव प्रवेशमार्गों के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य कोई मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन, पद्धतियों का ढाँचा और कामकाज तथा निरंतर मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोणों को स्थापित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

सन् १९९३ का ७३।
सन् १९५६ का ३।
सन् १९४८ का ८।
सन् १९६१ का २५।

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का मान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षण परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद या, यथास्थिति, अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कार्य।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कार्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान के संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध कराना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यवत करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र, पुरस्कार, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित करना तथा लेना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसर की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रावृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्त करना ;

(बारह) पारस्परिक प्रतिग्राह्य शर्तें और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध कराना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को सम्पादित करने के लिए परिनियमों, ऑर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार **व्यतिकारी** के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति कराना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशकों के अनुसार महाविद्यालयों, संस्थाओं, परिसर मुक्त केंद्रों, तट–मुक्त परिसर तथा अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस तथा अनुदान प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय से फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया गया हो, के भुगतान की माँग तथा प्राप्ति करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य पर शर्तों और निबंधनों को अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये हॉल और छात्रावासों को मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और अन्य ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझे ;

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन्तजाम करना ;

(उनतीस) देश के भीतर या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाए, सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्हीं विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तैंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो।

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर, विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों) खांनाबदोश जनजातियों, तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा ।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तिय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा ।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय के लिए, " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जो कम से कम पाँच करोड़ रुपये होंगी, जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ा जा सकेगा परन्तु, कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रुप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों ऑर्डिनेन्सों या, या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन के विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रित्या समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मूलभुत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन हो, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन की, यह निधि, सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी ।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा ।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श तथा अन्य कार्य से प्राप्त कोई आय;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान; तथा

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ ।

सामान्य निधि का उपयोग।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा, नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रुप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता और शर्तें राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों और विनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना ;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्यक्ष को हटाना।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रुप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर लोप या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन पुनर्पाठ्यक्रम लेने की कार्यवाही से पूर्व, प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति।

१४. (१) कुलपति, शासी निकाय द्वारा गठित तीन व्यक्तियों के पैनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधिक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलाधिपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किया जाए।

(७) यदि, किसी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष शासी निकाय के अनुमोदन के साथ, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष। **१५.** (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सोंपेगा।

रजिस्ट्रार। **१६.** (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यो का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों की केवल एक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ;

(५) परिक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कृत्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्ते उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(एक) शासी निकाय ;

(दो) प्रबंधन बोर्ड ;

(तीन) अकादमिक परिषद ;

(चार) परीक्षा बोर्ड; और

(पाँच) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, उनमें से दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होंगे ;

(चार) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(पाँच) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(छह) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ; और

(सात) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का आमंत्रित होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ;

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण उपबंधित करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं है के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सूचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती है तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधन बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) कुलपति ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(तीन) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(चार) तीन व्यक्ति शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(पाँच) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्ति।

(२) कुलपति प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंध बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंध बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंध बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय के अकादमिक निकाय की प्रधान होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाएँ लेने और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रो या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, " परीक्षाओं की अनुसूची " की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, हर एक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारम्भण के बारे में दी गई ब्यौरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे ।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) कुलपति	:	अध्यक्ष ;
(दो) प्रत्येक विषय का प्राध्यापक	:	सदस्य ;
(तीन) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	:	सदस्य ;
(चार) परीक्षा नियंत्रक	:	सदस्य सचिव ;

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए ।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ ।

निरर्हताएँ।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(ग) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुडा हुआ है ; या

(घ) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ किसी रिक्ति के केवल कारण द्वारा या उसके गठन में त्रुटि से अविधिमान्य नहीं होगी ।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथा संभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में, नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया है और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी संस्था या निकाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा ।

समितियाँ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अधिकारी, ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे ।

(२) ऐसी समितियों का गठन ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

प्रथम परिनियम ।

३०. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, प्रथम शासकीय निकाय द्वारा बनाया जाएगा और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और तद्धीन बनाए गए नियम, विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाले फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महीने के भीतर उस पर उसका अनुमोदन देगी ।

(४) सरकार, **राजपत्र** में, अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से पहला परिनियम प्रवृत्त होगा ।

पश्चात्वर्ती परिनियम ।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगे, अर्थात् :

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभागों का उत्सादन या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(च) पदों कें उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में पदों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामले है ।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासकीय निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाये जाँएगे ।

(३) प्रबंध बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधन बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी गठन या प्रतिष्ठा, शक्तियों पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम या परिनियम के संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त होगी तथा शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा ।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श के बिना, विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण का स्तरमान, शिक्षा तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंधन बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे ।

प्रथम ऑर्डिनेन्सेस ।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम आर्डिनेन्स, कुलपति द्वारा बनाए जाएँगे जो कि शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद उनके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएँगे ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियम या परिनियम के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंधन बोर्ड, ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा ऐसे उनके नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित अध्ययन की पाठ्यचर्या ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशेष योग्यता प्रमाणपत्रों को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित अर्थ वही होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षक तथा अनुसीमक समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रवास में विद्यार्थियों के आवास की शर्तें ;

(ज) विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों द्वारा जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया कराना अपेक्षित है ।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी ।

पश्चातवर्ती ऑर्डिनेन्स ।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे ।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधन बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों के सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधन बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार

करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे ।

विनियम । **३४.** विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधन बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे ।

प्रवेश । **३५.** (१) विश्वविद्यालय में बनाए गए प्रवेश कड़े गुणागुण के आधार पर होंगे ।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण गुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या निजी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे ।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग विद्यार्थियों से संबंध रखनेवाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी :

परंतु, किसी मामले में कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले विद्यार्थियों के लिए सत्तर प्रतिशत सीटे अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

फीस संरचना । **३६.** (१) विश्वविद्यालय, समय-समय से, अपनी फीस संरचना तैयार करेगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के अनुमोदन के लिए उसे भेजेगी ।

(२) सरकार, विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस संरचना प्रस्तावों के पुनर्विलोकन के लिए विहित रीत्या में फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति गठित करेगी ।

(३) उप-धारा (२) के अधीन उल्लेखित समिति के लिए, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा । समिति का अध्यक्ष, मुंबई की व्यक्ति जो, उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश से होगा ।

(४) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना का विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और विचार में लेने के पश्चात्, उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी चाहे प्रस्तावित फीस :–

(क) के लिए पर्याप्त–

(एक) विश्वविद्यालय के उत्पादन के आवर्ती व्यय के लिए बैठक ; और

(दो) विश्वविद्यालय के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक बचत ; और

(ख) अनुचित रूप से अत्याधिक नहीं ;

(५) उप-धारा (४) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के बाद, यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो फीस संरचना का अनुमोदन होगा । सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक शेष वैध रहेगी ।

(६) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेश किए हुए पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए प्रतिपूर्ति फीस नहीं देगी और कोई आर्थिक दायित्व नहीं लेगी ।

(७) विश्वविद्यालय, किसी फीस का प्रभार नहीं करेगी चाहे किसी भी नाम से हो से अन्य की उसके लिए उप-धारा (५) के अधीन हकदार है ।

कॅपिटेशन फीस का प्रतिषेध । **३७.** (१) विश्वविद्यालय, या ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए जो व्यक्ति प्रभारी है या जिम्मेदार है के द्वारा या की ओर से किसी के किसी छात्र के उसके प्रवेश के संबंध में या से किसी अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम के अभियोजन में या ऐसी संस्था में उच्च दर्जा मानक या श्रेणी में उसकी प्रोन्नति के संबंध में कोई कॅपिटेशन फीस संग्रहीत नहीं की जाएगी।

सन् १९८८ का महा. ६ ।

(२) उप-धारा (१) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, प्रबंधन, रोकड़ या किस्म में विहित रीत्या विन्यास निंधि व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय, प्रबंधन ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्थागत संस्थान में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी । जहाँ ऐसे दान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण प्रतिव्यक्ति फीस (कॅपिटेशन फीस संग्रहण की निषिद्धि) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फीस की निषिद्धि) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के एक (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे ।

परीक्षाओं की समय सारणी ।

३८. प्रत्येक अकादमिक वर्ष के शुरुआत में और किसी मामले में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून से पहले नहीं किसी मामलो में, विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कडाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, निदेश जारी करेगी ।

परिणामों की घोषणा।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए, उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा का प्रयास परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालिस दिनों के भीतर घोषित करेगी :

परंतु कि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । सरकार, उसपर, भविष्य में अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, निदेश जारी करेगी ।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय में धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया गया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परीणाम घोषित करने में असफल हो रहा है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य समझी नहीं जायेगी।

दीक्षांत समारोह ।

४०. विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजनार्थ, परिनियमों द्वारा विहित रित्या में प्रत्येक अकादमिक वर्ष में किया जाएगा ।

प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद नॅक (एनएएसी), बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित अन्य विनियमित निकायों को **नॅक** (एनएएसी) द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा उपबंधित श्रेणी की जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है ।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक हो ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैय करने के लिए बाध्यकारी होगी।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन बोर्ड तैयार करेगा जिसमें, अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी ।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी ।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा ।

४४. (१) प्रबंध बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ भी सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी ।

(५) सरकार की सलाह यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझें ऐसे निर्देश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

विश्वविद्यालय निरीक्षण की सरकार की शक्तियाँ ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणीयाँ अभिनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी ।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय, सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी ।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन बनी सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे ।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, सरकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच को ही होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व प्रायोजित निकाय में निहित होंगी :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पच्चीस वर्ष पहले प्रायोजित निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी ।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्‌भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओं नोटीस जारी करेगा क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया न जाये ।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी ।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी ।

सन् १९०८ का ५ ।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना, और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये ।

सन् १९७४ का २ ।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों, की इस अधिनियम के अधीन जाँच दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा ।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या आर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के संतर्जक से वित्तिय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के परिसमापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे ।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंध करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम की पूरी नहीं होती और उपाधि, डिप्लोमा, या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किया गया है ।

(८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासन इस प्रभाव की रिपोर्ट सरकार को देगी ।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी अस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी ।

सचिव स्तरीय समिति और विश्वविद्यालय के परिचालन ।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की जाँच और आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी । समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी ।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई सूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

४९. (१) सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामलें ;

(ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिये रखा जायेगा, जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाने ऐसा विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हों तो नियम, ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से, परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेंगा ।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

५०. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि, कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतित हो ।

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात् , यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIX OF 2015.

THE MIT ART, DESIGN AND TECHNOLOGY UNIVERSITY ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
प्रारुपकार-एवं-सह-सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIX OF 2015.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF MIT, ART, DESIGN AND TECHNOLOGY UNIVERSITY, PUNE, FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THREWITH AND INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३९ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए एमआयटी आर्ट, डिझाईन ॲण्ड टेक्नॉलॉजी विश्वविद्यालय, पूना की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए एमआयटी आर्ट, डिझाईन ॲण्ड टेक्नॉलॉजी विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम, एमआयटी आर्ट, डिझाईन ॲण्ड टेक्नॉलॉजी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " प्रबंधन बोर्ड " का तात्पर्य, धारा २२ के अधीन गठित प्रबंधन बोर्ड से है ;

(ख) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन वह स्थापित किया गया है ;

(ग) " दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय, द्वारा जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किसी अन्य ऐसी प्रणाली - विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(घ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ङ) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं या, यथास्थिति अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिस किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(च) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(छ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, धारा २१ के अधीन गठित शासी निकाय से है ;

(ज) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(झ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ञ) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना से है ;

(ट) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ठ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों या, यथास्थिति, विनियमों द्वारा विहित से है ;

(ड) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(ढ़) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ण) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(त) " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन, किसी न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत महाराष्ट्र ॲकेडमी ऑफ इंजीनिअरींग ॲण्ड एज्युकेशनल रिसर्च, पूना से है ; सन् १९५० का २९ ।

(थ) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(द) " परिनियमों ", " आर्डिनन्सों " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ध) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किये गये व्यक्ति से है जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(न) " अध्ययन केंद्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिए या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के लिए स्थापित तथा पोषित या मान्यता प्राप्त केंद्र से है ;

(प) " अध्यापक " का तात्पर्य, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या अन्य कोई व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(फ) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये एमआयटी आर्ट, डिझाईन ॲण्ड टेक्नॉलॉजी विश्वविद्यालय, पूना से है ;

विश्वविद्यालय का निगमन।

३. (१) एमआयटी आर्ट, डिझाईन ॲण्ड टेक्नॉलॉजी विश्वविद्यालय, पूना के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्तियाँ जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी एतद्द्वारा, " एमआयटी आर्ट, डिझाईन ॲण्ड टेक्नॉलॉजी विश्वविद्यालय, पूना " के नाम द्वारा निगमित निकाय से गठित और घोषित होंगे।

(३) विश्वविद्यालय का, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उन पर वाद चलाया जाएगा।

(४) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय असहबद्ध विश्वविद्यालय के रुप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय, संस्थित किया जायेगा और उसका मुख्यालय राजबाग, लोणी काळभोर, पूना, महाराष्ट्र में होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में निम्न सम्मिलित होगें,–

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो–विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक अनुशासनों, जैसे कि इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य अनुप्रयुक्त तथा रचानात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, शिक्षण तथा प्रशिक्षण का उपबंध कराना, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध कराना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा स्थानांतरण के लिए सर्जनशीलता, अभिनव और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा नियोजन करना ;

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ स्थापित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना, तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वीं सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक–आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करना ;

(त्र) औद्योगिक तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) अभिनव प्रवेशमार्गों के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड़) परीक्षाएँ या अन्य कोई मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन, पद्धतियों का ढाँचा और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोणों को स्थापित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का मान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षण परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद या, यथास्थिति, अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना। सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कार्य।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कार्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान के संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध कराना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यवत करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित करना तथा लेना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसर की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रावृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्त करना ;

(बारह) पारस्परिक प्रतिग्राह्य शर्तें और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध कराना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को सम्पादित करने के लिए परिनियमों, ऑर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार व्यतिकारी के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति कराना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशकों के अनुसार महाविद्यालयों, संस्थाओं, निवेश मुक्त केंद्रों, तट–मुक्त परिसर तथा अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस तथा अनुदान प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय से फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया गया हो, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राहय शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये हॉल और छात्रावासों को मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और अन्य ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझे ;

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन्तजाम करना ;

(उनतीस) देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाए, सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्हीं विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो।

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर, विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों) खानाबदोश जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय समय पर निर्गमित आदेशों को अंगीकृत करेगा ।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तिय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा ।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय विश्वविद्यालय के लिए, " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जो कम से कम पाँच करोड़ रुपये होंगी, जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ा जा सकेगा परन्तु, कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रुप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रित्या समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मूलभूतसुविधा के विकास के लिए उपयोग में लायी जाएगी किंतु विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लायी जाएगी ।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन हो, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन की, यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी ।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा ।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श तथा अन्य कार्य से प्राप्त कोई आय ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान ; तथा

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ ।

सामान्य निधि का उपयोग।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा, नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रुप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता और शर्तें राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों और विनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना ;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्यक्ष को हटाना।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रुप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर लोप या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन पुनर्पाठ्यक्रम लेने की कार्यवाही से पूर्व, प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति। **१४.** (१) कुलपति, शासी निकाय द्वारा गठित तीन व्यक्तियों के पैनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुर्नर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधिक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलाधिपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किया जाए।

(७) यदि, किसी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष शासी निकाय के अनुमोदन के साथ, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष। **१५.** (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सोंपेगा।

रजिस्ट्रार। **१६.** (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यो का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों की केवल एक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और घोषित अग्रिम में करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ;

(५) परीक्षाओं के नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कृत्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तों उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(एक) शासी निकाय ;

(दो) प्रबंधन बोर्ड ;

(तीन) अकादमिक परिषद ;

(चार) परीक्षा बोर्ड; और

(पाँच) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, उनमें से दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद होंगे ;

(चार) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(पाँच) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(छह) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ; और

(सात) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का आमंत्रित होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ;

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण उपबंधित करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं है के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सूचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती है तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधन बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) कुलपति ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(तीन) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(चार) तीन व्यक्ति शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(पाँच) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्ति।

(२) कुलपति, प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधन बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधन बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय के अकादमिक निकाय की प्रधान होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाएँ लेने और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रो या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, " परीक्षाओं की अनुसूची " की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, हर एक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारम्भण के बारे में दी गई ब्यौरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे ।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) कुलपति	...	अध्यक्ष ;
(दो) प्रत्येक विषय का प्राध्यापक	...	सदस्य ;
(तीन) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	...	सदस्य ;
(चार) परीक्षा नियंत्रक	...	सदस्य सचिव ।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए ।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ ।

निरर्हताएँ।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने निरर्हता होगा, यदि वह,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(ग) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुडा हुआ है ; या

(घ) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है ।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ किसी रिक्ति के केवल कारण द्वारा या उसके गठन में त्रुटि से अविधिमान्य नहीं होगी ।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथा संभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में, नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया है और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी संस्था या निकाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा ।

समितियाँ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारणों तथा अधिकारी, ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे ।

(२) ऐसी समितियों का गठन ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

प्रथम परिनियम ।

३०. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, ऐसा होगा जिसे शासकीय निकाय द्वारा बनाया जाएगा और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और तद्धीन बनाए गए नियम, विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाले फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महीने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी ।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से पहला परिनियम प्रवृत्त होगा ।

पश्चात्वर्ती परिनियम ।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगे, अर्थात् :

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभागों का उत्सादन या पुन:संरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(च) पदों कें उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में पदों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामले है ।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासकीय निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाये जाएगें ।

(३) प्रबंधन बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधन बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी गठन या प्रतिष्ठा, शक्तियों पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम या परिनियम के संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त होगी तथा शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा ।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श के बिना, विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण का स्तरमान, शिक्षा तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंधन बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे ।

प्रथम ऑर्डिनेन्सेस।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम आर्डिनेन्स, कुलपति द्वारा बनाए जाएँगे जो कि शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद उनके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएँगे ।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियम या परिनियम के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंधन बोर्ड, ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा ऐसे उनके नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित अध्ययन की पाठ्यचर्या ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशेष योग्यता प्रमाणपत्रों को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित अर्थ वही होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षक तथा अनुसीमक समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रवास में विद्यार्थियों के आवास की शर्तें ;

(ज) विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों द्वारा जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया कराना अपेक्षित है ।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्त के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी ।

पश्चातवर्ती ऑर्डिनेन्स ।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे ।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधन बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों के सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधन बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे ।

विनियम ।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधन बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे ।

प्रवेश ।

३५. (१) विश्वविद्यालय में बनाए गए प्रवेश कड़े गुणागुण के आधार पर होंगे ।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या निजी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे ।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग विद्यार्थियों से संबंध रखनेवाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी :

परंतु, किसी मामले में कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले विद्यार्थियों के लिए सत्तर प्रतिशत सीटे अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

फीस संरचना ।

३६. (१) विश्वविद्यालय, समय-समय से, अपनी फीस संरचना तैयार करेगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के अनुमोदन के लिए उसे भेजेगी ।

(२) सरकार, विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस संरचना प्रस्तावों के पुनर्विलोकन के लिए विहित रीत्या में फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति गठित करेगी ।

(३) उप-धारा (२) के अधीन उल्लेखित समिति के लिए, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा । समिति का अध्यक्ष, मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश से किया गया व्यक्ति होगा ।

(४) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना का विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और विचार में लेने के पश्चात्, उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी चाहे प्रस्तावित फीस :–

(क) के लिए पर्याप्त–

(एक) विश्वविद्यालय के उत्पादन के आवर्ती व्यय के लिए बैठक ; और

(दो) विश्वविद्यालय के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक बचत ; और

(ख) अनुचित रूप से अत्याधिक नहीं ;

(५) उप-धारा (४) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के बाद, यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो फीस संरचना का अनुमोदन होगा । सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक शेष वैध रहेगी ।

(६) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेश किए हुए पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए प्रतिपूर्ति फीस नहीं देगी और कोई आर्थिक दायित्व नहीं लेगी ।

(७) विश्वविद्यालय, किसी फीस का प्रभार नहीं करेगी चाहे किसी भी नाम से हो से अन्य की उसके लिए उप-धारा (५) के अधीन हकदार है ।

कॅपिटेशन फीस का प्रतिषेध ।

३७. (१) विश्वविद्यालय, या ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए जो व्यक्ति प्रभारी है या जिम्मेदार है, के द्वारा या की ओर से किसी छात्र के प्रवेश के संबंध में या से किसी अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम के अभियोजन या ऐसी संस्था में उच्च दर्जा या श्रेणी में उसकी प्रोन्नति के संबंध में कोई कॅपिटेशन फीस संग्रहीत नहीं की जाएगी।

सन् १९८८ का महा. ६ ।

(२) उप-धारा (१) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, प्रबंधन, रोकड़ या किस्म में विहित रीत्या विन्यास निंधि व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय, प्रबंधन ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्थागत संस्थान में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगा । जहाँ ऐसे दान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण प्रतिव्यक्ति फीस (कॅपिटेशन फीस संग्रहण की निषिद्धि) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फीस की निषिद्धि) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के एक (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे ।

परीक्षाओं की समय सारणी ।

३८. प्रत्येक अकादमिक वर्ष के शुरुआत में और किसी मामले में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय, उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्र वार या वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कडाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, निदेश जारी करेगी ।

परिणामों की घोषणा।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए, उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा का प्रयास परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालिस दिनों के भीतर घोषित करेगी :

परंतु कि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । सरकार, उसपर, भविष्य में अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, निदेश जारी करेगी ।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय में धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया गया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परीणाम घोषित करने में असफल हो रहा है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य समझी नहीं जायेगी।

दीक्षांत समारोह ।

४०. विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजनार्थ, परिनियमों द्वारा विहित रित्या में प्रत्येक अकादमिक वर्ष में किया जाएगा ।

प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद नॅक (एनएएसी), बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित अन्य विनियमित निकायों को नॅक (एनएएसी) द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा उपबंधित श्रेणी की जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है ।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों मानकों आदि के साथ पालन करना आबद्धकर होगा और, ऐसे निकायों को जो उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का उन्मोचन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक हो उपबंध करेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन बोर्ड तैयार करेगा जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी ।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी ।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा ।

४४. (१) प्रबंध बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ भी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

(५) सरकार की सलाह यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझें ऐसे निर्देश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणीयाँ अभिनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी ।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय, सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी ।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन बनी सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे ।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, सरकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच के पूर्ण होने पर और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा ।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व प्रायोजित निकाय में निहित होंगी :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पच्चीस वर्ष पहले प्रायोजित निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी ।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओं नोटीस जारी करेगा क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया जाये ।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी ।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी ।

सन् १९०८ का ५ ।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना, और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये ।

सन् १९७४ का २ ।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों, की इस अधिनियम के अधीन जाँच दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा ।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या आर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के संतर्जक से वित्तिय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के परिसमापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे ।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंध करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम की पूरी नहीं होती और उपाधि, डिप्लोमा, या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किया गया है ।

(८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासन इस प्रभाव की रिपोर्ट सरकार को देगी ।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन का अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी अस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी ।

सचिव स्तरीय समिति और विश्वविद्यालय के परिचालन ।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की जाँच और आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी । समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी ।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई सूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

४९. (१) सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामलें ;

(ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिये रखा जायगा, जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाने ऐसा विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हों तो नियम, ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से, परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेंगा ।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

५०. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि, कोई कठिनाई उदभूत होती है तो, सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ।

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजुषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.